हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
आज़ादी का अमृत महोत्सव

No. BSEH/HOS/2023 Notification No. 03
Dated 16.02.2023

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) के फ्रैश/रि–अपीयर/अतिरिक्त विषय/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार/मर्सी चांस फरवरी/मार्च–2023 परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र दिनांक 16.02.2023 से बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/रजिस्ट्रेशन नं0 भरते हुए डाउनलोड़ कर सकते है।

परीक्षार्थी प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिन्ट A4 Size Paper पर ही निकालना सुनिश्चित करें। प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिन्ट लेने उपरांत विवरणों को भली भॉंति जांच लें, यदि विवरणों में कोई त्रुटि है, तो दिनांक 21.02.2023 तक शुद्धि से सम्बन्धित मूल दस्तावेज एवं वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते है। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारणवश रोका गया है, तो वे परीक्षा से पूर्व बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए प्रवेश–पत्र जारी करवा सकते है। परीक्षा समाप्त होने उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी को फोटो व हस्ताक्षर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से 30 मिनट पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थी अपने मूल आधार कार्ड एवं रंगीन प्रवेश–पत्र सहित परीक्षा केन्द्र पर पहुंचेगें। यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित दिव्यांग प्रमाण–पत्र/UDID Card की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रवेश होना/परीक्षा देना एक दण्ड़नीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जा सकती है इसलिए ऐसी मानसिकता से बचें।

हस्ता0
सचिव